बिस्मिल्लाहिरर्हमानिर्रहीम

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पेज नं
01.	पेश लफ़्ज़	04
02.	दार किसे कहते हैं?	05
03.	दार की क़िस्में	07
04.	इलाक़ों का नामकरण	10
05.	हिजरत की ता'रीफ़ (परिभाषा)	12
06.	हिजरत के मक़ासिद (उद्देश्य)	15
07.	दारुल कुफ़्र से दारुस्सलाम की त़रफ़ हिजरत का हुक्म	17
08.	मुहाजिर के चार हालात और उनका हुक्म	22
09.	मिश्रित संस्कृति वाले देशों से हिजरत	26
10.	हिजरत के बुनियादी उस़ूल	29
11.	निष्कर्ष (Dpodmt jpo)	32

हिजरत की ता'रीफ़ (परिभाषा)

हिजरत का शाब्दिक अर्थ :

हिजरत अ़रबी भाषा का लफ़्ज़ है। हिजरत का मत़लब है किसी ख़ास़ वजह से एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया,

'अ़मल निय्यत ही से स़हीह होते हैं (या निय्यत ही के मुत़ाबिक़ उनका बदला मिलता है) और हर आदमी को वही मिलेगा जो निय्यत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिये हिजरत करे उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की त़रफ़ होगी और जो कोई दुनिया कमाने के लिये या किसी से शादी करने के लिये हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिये होगी।' (स़हीह़ बुख़ारी, स़हीह़ मुस्लिम)

अ़रबी भाषा की मशहूर डिक्शनरी **'लिसानुन अ़रब'** और **'ताजुल उ़रूस'** में लफ़्ज़ **'हिजरत'** के बारे में लिखा है कि यह लफ़्ज़ **'वस्ल'** का विलोम है। **वस्ल का मा'नी है, मिलना और हिजरत का मा'नी है, जुदाई।**

हिजरत का शरअ़ी मा'नी :

इस्लामी शरीअ़त के मुत़ाबिक़ हिजरत का मत़लब है,

01. **'दारुल हरब से निकलकर दारुस्सलाम में जाना।'**
02. **अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की इत़ाअ़त के लिये या उनके हुक्म की फ़र्माबरदारी करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाना।**

शैख़ इब्नुल अ़रबी (रह़.) ने **'अहकामुल क़ुर्आन'** में, इब्ने क़ुदामा ने

हिजरत के बुनियादी उसूल

01. निय्यत में ख़ुलूस़ हो :

हिजरत करने वाले को चाहिये कि वो हिजरत में इख़्लासे-निय्यत से काम ले और ष़वाब की उम्मीद रखे। सिर्फ़ दीन की मदद के लिये हिजरत करे, अपने दीन को फ़ित्नों से बचाने के लिये इलाक़ा या मुल्क छोड़े। क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ़र्माता है,

'जिन लोगों ने ज़ुल्म की वजह से अल्लाह की राह में हिजरत की उनके लिये दुनिया में अच्छाई और आख़िरत का अज्र बहुत बड़ा है।'

(सूरह नहल : 41)

02. दुनियवी लालच न हो :

हिजरत करने वालों को यह नहीं सोचना चाहिये कि उन्हें भी इस दुनिया में वही सब-कुछ मिलेगा जो दूसरे लोगों को मिला है। इस निय्यत व इरादे से शहर या इलाक़ा न छोड़े कि दूसरे शहर में ज़िन्दगी अच्छी त़रह़ गुज़रेगी या'नी हिजरत का मक़स़द ज़्यादा रिज़्क़ ह़ासिल करना नहीं हो। यह अलग बात है कि अगर कोई शख़्स़ अपने ईमान की ह़िफ़ाज़त के लिये हिजरत करे और दूसरे इलाक़े में उसकी रोज़ी में इज़ाफ़ा हो जाए।

'जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करे वो ज़मीन में रहने की बहुत सी जगह और (रिज़्क़ में) फैलाव पाएगा।' (सूरह निसा : 100)

03. अच्छी त़रह तह़क़ीक़ करे :

हिजरत के त़लबगार को चाहिये कि वो दारुल कुफ़्र, दारुल ह़रब के बारे में तह़क़ीक़ (खोजबीन) करे। सिर्फ़ अपने मन के क़यास (अनुमान) के आधार